**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारां‎कित प्रश्न संख्या 1048**

**बुधवार, 29 जुलाई, 2015 / 7 श्रावण, 1937(शक)**

**राज्यों में अलग-अलग मजदूरी**

**1048. श्री अविनाश राय खन्ना:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भिन्न-भिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के अकुशल मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी अलग-अलग है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का केन्द्र द्वारा अ‎धिसूचित न्यूनतम मजदूरी को देश में सभी राज्यों हेतु अनिवार्य बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री बंडारू दत्तात्रेय)**

(क): देश के ‎विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के अकुशल श्र‎मिकों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी की दरों में अंतर सामा‎जिक – आ‎र्थिक तथा कृ‎षि – जलवायु अवस्थाओं, आय, आवश्यक पदार्थों के मूल्य, भुगतान क्षमता, उत्पादकता तथा स्थानीय अवस्थाओं में अंतर के कारण है।

न्यूनतम मजदूरी अ‎धिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत भी केन्द्र तथा राज्य सरकारें दोनों ही अपने संबं‎धित क्षेत्रा‎धिकारों में मजदूरी ‎निर्धा‎रित करने, संशो‎धित करने तथा प्रव‎र्तित करने के ‎लिए समु‎चित सरकार हैं।

(ख) से (घ): केन्द्र द्वारा अ‎धिसू‎चित न्यूनतम मजदूरी को देश के सभी राज्यों के ‎लिए अ‎निवार्य बनाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तथा सरकार को इस संबंध में कोई फीडबैक प्राप्त नहीं हुआ है।

\*\*\*\*\*\*